



पॉलिसीक नाम: वित्तीय सहायता/संग्रह नीति
प्रभावी: जनवरी 1, 2018
पॉलिसी क्षेत्र: राजस्व चक्र
अंतिम पुनरीक्षण: जनवरी 1, 2018

स्थिति: स्वीकृत
पुनरीक्षण तारीख: जनवरी 1, 2019
समाप्ति तारीख: N/A

पॉलिसिक ब्यौरा: समस्त एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क (AHN) में वित्तीय सहायता कार्यक्रम सतत व उचित तरीका सं जारी होयबाक चाही। प्रभावी तरीका व कुशल वित्तीय सहायता तथा संग्रह सुनिश्चित करबाक प्रक्रिया स्थापित कयल गेल अछि। ई AHNक विकसित आंतरिक नियंत्रण व लागू विनियामक आवश्यकता संरेखित अछि।

हस्ताक्षर / तारीख
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षर / तारीख
मुख्य राजस्व चक्र अधिकारी

I. उद्देश्य

एहि पॉलिसिक उद्देश्य आय पात्रता मानदंड, वित्तीय सहायताक प्रकार व एहि नियमक तहत शामिल तथा बहिष्कृत सेवा के परिभाषित करबाक अछि। ई पॉलिसी ओहि प्रक्रिया के निर्धारित करैत अछि जाहिमें रोगी वित्तीय सहायताक लेल आवेदन करताह। एकरा चैरिटी केयर सेहो कहल जाइत अछि।

चैरिटी कें व्यक्तिगत जिम्मेदारीक विकल्प नहिं मानल जा सकैत अछि। एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क ई उम्मीद करैत अछि जे चैरिटी या अन्य प्रकारक भुगतान या वित्तीय सहायता प्राप्त करबाक इच्छुक मरीज प्रक्रियाक संग सहयोग करताह, संगे भुगतान करैक अपन व्यक्तिगत क्षमताक आधार पर अपन देखभालक लागत में योगदान देताह। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करबाक साधन कें रूप में, समस्त व्यक्तिगत स्वास्थ्य व निजी संपत्तिक सुरक्षाक वास्ते, वित्तीय क्षमताक आधार पर स्वास्थ्य बीमा खरीद सकै वला व्यक्ति सबके प्रोत्साहित कयल जायत।

II. पॉलिसी

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक अस्पताल व चिकित्सक अपन मरीज तथा पश्चिमी पेंसिल्वेनियाक नागरिक सभक स्वास्थ्य में सुधार करबाक लेल प्रतिबद्ध अछि। वेस्टफील्ड, NY सेवा क्षेत्रक अतिरिक्त और अलग-अलग आवश्यकता के परिशिष्ट E में निर्धारित कयल गेल अछि। एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक एहि पॉलिसीक तहत सब मरीजक चिकित्साक व्यवस्था अछि। एहि में एहनो मरीज शामिल छथि जे सीमित आयक कारणे खर्च करबा में अक्षम छथि। एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क वात्सल्य, उच्च गुणवत्ता, किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेबाक अपन मिशन के संग-संग ई सुनिश्चित करैत अछि जे गरीब व वंचित वर्गक जरूरतमंद लोकक वित्तीय स्थिति स्वास्थ्य देखभाल सेवा लेबय में बाधक नहिं बनय। एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क बिना कोनो भेदभाव कें, वित्तीय सहायताक लेल या सरकारी सहायताक लेल पात्रताक बावजूद आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में लोकक देखभाल करैक लेल प्रतिबद्ध अछि। एहि सब अस्पताल में एलेग्नी जनरल अस्पताल, एलेग्नी वैली अस्पताल, कैनसबर्ग अस्पताल, फोर्ब्स अस्पताल, जेफरसन अस्पताल, सेंट विन्सेंट अस्पताल, वेस्ट पेन अस्पताल, और वेस्टफील्ड मेमोरियल अस्पताल शामिल अछि। ई वित्तीय सहायता नीति अस्पताल सब द्वारा प्रदान होय वला सब आपातकालीन व अन्य चिकित्सकीय आवश्यक देखभाल पर लागू होइत छैक। एहि में अस्पताल में कोनो पर्याप्त रूप से संबंधित इकाई द्वारा प्रदान कयल देखभाल सेहो शामिल अछि (जेना कि IRS द्वारा परिभाषित कयल गेल अछि) ।

दिशा-निर्देश

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक वित्तीय सहायता व संग्रह नीति सेन्टर्स फॉर मेडिकेयर तथा मेडिकेड सर्विसेज मेडिकेयर अप्राप्य ऋण निधि आवश्यकता (42 CFR SS13.89) व मेडिकेयर प्रदाता प्रतिपूर्ति मैनुअलक (भाग 1, चैप्टर 3) अनुपालन करय केर वास्ते विकसित कयल गेल छल। ई नीति दिसंबर 29, 2014 के IRS व डिपार्टमेन्ट ऑफ ट्रेजरी द्वारा जारी अंतिम नियमक संग संघीय रोगी संरक्षण और वहनीय देखभाल अधिनियमक (Pub. L.No. 111-148) धारा 9007(1) के तहत आवश्यक आंतरिक राजस्व संहिता धारा 501© के सेहो संबोधित करैत अछि (फेडरल रजिस्टर में दिसंबर 31, 2014 के प्रकाशित)।

III. परिभाषा

एसीए अथवा अफोर्डेबल केयर एक्ट - एसीए एहन व्यक्ति के लक्षित अछि जे स्वास्थ्य बीमा नहिं खरीदताह, या नहिं खरीद सकैत छथि। ई एहन व्यक्ति के सेहो लक्षित अछि जे न्यून-मूल्य बीमाकृत व्यक्तिक नाम से परिलक्षित होइत छथि। हुनका लग हेल्थ केयर कवरेज त रहैत छन्हि मुदा ओ पर्याप्त रूप से महंग चिकित्सा खर्च सं सुरक्षित नहिं रहैत छथि।

चैरिटी केयर - कार्यक्रम योग्यता द्वारा निर्धारित रोगी के प्रदान होयवला सेवाक (AHN अस्पताल और नियोजित चिकित्सक द्वारा) वास्ते शुल्कक पूर्ण या आंशिक समायोजन, जे AHN योग्यता मानदंड पर आधारित हो।

संग्रह कार्य - जेना कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कयल गेल अछि, तेसर पक्षक संग्रह एजेंसीक संग-संग एहि नीति में उचित संग्रह प्रयासक रूप में चिहिनत अन्य कानूनी गतिविधिक उपयोग रोगी के प्रदान कयल जाय वला चिकित्सा सेवाक भुगतानक दौरान एलेग्नेनी हेल्थ नेटवर्क द्वारा कयल जा सकैत अछि।

आपातकालीन चिकित्सा स्थिति - सामाजिक सुरक्षा अधिनियमक (42 U.S.C. 1395dd) धारा 1867 के अर्थ में पारिभाषित कयल गेल अछि। आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के पर्याप्त गंभीरताक तीव्र लक्षण सं प्रकट होइ वला चिकित्सा स्थिति के रूप में पारिभाषित कयल गेल अछि (भीषण दर्द, मनोवैज्ञानिक समस्या या कोनो पदार्थक दुरुपयोगक लक्षण शामिल) एहन कि तत्काल चिकित्साक उपलब्ध नहिं हेबाक स्थिति में परिणाम भय सकैत छैक (i) व्यक्तिक स्वास्थ्य (गर्भवती महिलाक संबंध में, महिला या ओकर नवजात बच्चाक स्वास्थ्य) के गंभीर खतरा (ii) शारीरिक स्थिति में गंभीर हानि या (iii) शरीरक कोनो अंग में गंभीर अक्षमता।

असाधारण संग्रह कार्य - आंतरिक राजस्व संहिता धारा 501 (r) द्वारा आवश्यक असाधारण संग्रह निम्नानुसार पारिभाषित क्रिया अछि:

- किछु अपवाद के छोड़ि, कोनो अन्य पार्टी के ऋण बेचनाइ;
- उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी के या क्रेडिट ब्यूरो के प्रतिकूल जानकारीक सूचना;
- एहन कार्रवाई जेकरा वास्ते कानूनी या न्यायिक प्रक्रियाक आवश्यकता होइत छैक, जे निम्न तक सीमित नहिं अछि:
 - संपत्ति पर एकाधिकार (नीचां उल्लिखित अपवादक संग)
 - असली संपत्ति पर फौजदारी
 - बैंक खाता या कोनो अन्य निजी संपत्ति के अटैच या जब्ती
 - नागरिक कार्रवाई
 - कोनो व्यक्तिक गिरफ्तारीक कारण
 - कोनो व्यक्ति के अधीन केनाइ
 - मजदूरी वेतन रोक

परिवार - जननगणना ब्यूरोक परिभाषाक मुताबिक, दू टा या ओहि से बेसी व्यक्तिक समूह जे एकसंगे रहैत अछि तथा जन्म, विवाह या दत्तक ग्रहण से एक दोसर से जुड़ल अछि। आंतरिक राजस्व सेवा नियमक मुताबिक, यदि रोगी केकरो अपन आयकर रिटर्न पर निर्भरक रूप में दावा करैत त हुनका वित्तीय सहायताक प्रावधानक प्रयोजनक लेल एकटा आश्रित मानल जा सकैत अछि।

पारिवारिक आय - पारिवारिक आय में वेतन, बेरोजगारी मुआवज, बाल समर्थन, चिकित्सा सहायता दायित्व, गुमनामी, सामाजिक सुरक्षा आय, विकलांगता भुगतान, पेंशन या सेवानिवृत्ति आय, किराया, रॉयल्टी, संपत्ति तथा ट्रस्ट से आय, कानूनी निर्णय, लाभांश और ब्याज आय शामिल होयत। निम्नलिखित के पारिवारिक आय से बाहर राखल जायत; प्राथमिक आवास में इक्विटी, सेवानिवृत्ति योजना खाता तथा अंतिम संस्कारक प्रयोजनक लेल अपरिवर्तनीय ट्रस्ट, और संघीय या राज्य प्रशासित कालेज बचत योजना। 18 वर्ष से कम उम्रक मरीजक मामला में पारिवारिक आय में माता-पिता और / या सौतेला माता-पिता, अविवाहित या घरेलू सहयोगी शामिल हेताह, जे नाबालिग संग रहि सकैत छथि या नहियो रहि सकैत छथि।

संघीय गरीबी दिशा-निर्देश - संघीय गरीबी दिशा-निर्देश संयुक्त राज्य के फेडरल रजिस्टर में संयुक्त राज्य संहिताक शीर्षक 42 के धारा 9092 के उपधारा (2) के अधिकार के तहत स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग प्रतिवर्ष अपडेट होइत अछि।

गारंटीकर्ता - रोगक अलावा एकटा व्यक्ति जे रोगीक बिल या ऋणक भुगतानक लेल उत्तरदायी अछि, यदि रोगी बिल या ऋणक भुगतान करबा में असमर्थ या विफल अछि।

सकल शुल्क - अनुबंधित भत्ता, राजस्व सं अन्य कटौती, या बातचीत छूट सं पहिले रोगी देखभाल सेवाक प्रावधानक लेल एलेग्नेनी हेल्थ नेटवर्कक स्थापित दर व कुल शुल्क लागू।

चिकित्सकीय आवश्यकता - चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवा आमतौर पर मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाक केंद्र द्वारा रोगक या चोटक निदान या उपचारक लेल उचित या आवश्यक सेवा या वस्तु के रूप में पारिभाषित कयल जाइत अछि।

गैर-प्रतिक्रियाशील रोगी - AHN स्वीकार करैत अछि जे किछु रोगी AHNक आवेदन प्रक्रियाक लेल उत्तरदायी नहीं भय सकैत छथि। एहि परिस्थिति में AHN वित्तीय आवश्यकताक व्यक्तिगत आकलनक लेल सूचनाक अन्य स्रोतक उपयोग क सकैत अछि।

गैर-बीमाकृत रोगी - एहन व्यक्ति जेकरा लग अपन रोगीक दायित्व पूरा करबा में सहायताक लेल वाणिज्यिक तृतीय पक्ष बीमाकर्ता, ERISA योजना, संघीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (बिना सीमा के मेडिकेयर, मेडिकेड, SCHIP और CHAMPUS सहित), कर्मचारीक मुआवजा या अन्य तृतीय पक्षक सहायताक कवरेज नहीं हो।

अंतर्निहित रोगी - एकटा व्यक्ति, निजी या सार्वजनिक बीमा कवरेजक संग, जेकरा लेल एलेग्नेनी हेल्थ नेटवर्क द्वारा प्रदान होय वला चिकित्सा सेवाक लेल व्ययक भुगतान करवा में कठिनाई हो।

IV. प्रक्रिया

पॉलिसीक प्रकाशन

ई पॉलिसी निम्नलिखित तरीका सं उपलब्ध अछि।

- ✓ **पेपर प्रति:** एहि पॉलिसीक पेपर प्रति, पॉलिसीक आवेदन पत्र और सादा भाषा सारांश अस्पतालक सुविधा और मेल द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अनुरोध और बिना शुल्क के उपलब्ध होयत।
- ✓ **आगतुक के सूचना/ सूचित करनाई:** ई पॉलिसी अस्पताल में सार्वजनिक स्थान पर पॉलिसीक बारे में मूलभूत जानकारी प्रदान करय वला मानक संकेत, फॉर्म्स और विवरणिका में उपलब्ध होयत।
- ✓ **सेवा प्राप्त समुदायक सदस्य के सूचना / सूचित करनाई:** समुदायक निम्न आय वला आबादीक आवश्यकता के संबोधित करैत एहि पॉलिसीक सारांशित सूचना पत्रक वितरण स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी और गैर-लाभकारी संगठन के कराओल जायत।
- ✓ **वेबसाइट प्रकाशन:** वित्तीय सहायता नीति, आवेदन पत्र, और एक सादा भाषा सारांश AHN वेबसाइट पर उपलब्ध होयत।

दिशा-निर्देशक विवरण

एहन रोगी के आवश्यक सेवा प्रदान करैक लेल ई AHNक इच्छा अछि, जे भुगतान करबा में असमर्थ छथि या भुगतान करबा में अनिच्छा नहीं देखबई छथि।

IRC §501(r) गाइडलाइनक मुताबिक, AHN चैरिटी केयर योग्य व्यक्ति के प्रदान कयल गेल आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय आवश्यक देखभाल के लेल लगायल गेल खर्च के सीमित करैत अछि। एहन व्यक्ति से आमतौर पर बीमा द्वारा कवर कयल गेल व्यक्तिक बिलक (एजीबी) की रकम से अधिक शुल्क नहिं लेल जेबाक चाही, संगे दिशा-निर्देश सकल शुल्कक उपयोग के प्रतिबंधित करैत अछि। कृपया प्रत्येक AHN सुविधाक लेल स्व-भुगतान छूटक वास्ते अनुच्छेद D देखी।

फेडरल रजिस्टर Vol 79, No. 250 तारीख दिसंबर 31, 2014 के मुताबिक, AHN अस्पताल आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय आवश्यक देखभाल के लेल AGB निर्धारित करवा वास्ते "लुक-बैक" विधि केर उपयोग करैत अछि। वित्तीय सहायता केर योग्य पाओल गेल बीमाकृत मरीज सं एकत्र होय वला रकम निजी बीमा कंपनी, मेडिकेयर और मेडिकेड केर औसत दर सं अधिक नहिं होयत। वित्तीय सहायताक लेल पात्र मरीज केर सकल शुल्कक भुगतान करैक उम्मीद नहिं कयल जायत। जनता एहि सूचना के लिखित रूप में निम्नलिखित पता पर जमा कय के आसानी से प्राप्त क सकैत छथि।

निदेशक ग्राहक सेवा केंद्र
एलेगनी हेल्थ नेटवर्क
4 मंजिल, 4 एलेगनी सेंटर
पिट्सबर्ग, PA 15212

योग्यताक लेल मानदंड

मरीज जे एहि नीति द्वारा स्थापित मानदंड के पूरा करैत छथि, ओ मुफ्त या छूट वला देखभाल सहित वित्तीय सहायताक लेल पात्र हेताह।

1. एकटा मरीज संयुक्त राज्य अमेरिका केर नागरिक या संयुक्त राज्य अमेरिका केर वैध स्थायी निवासी होबक चाही, या पेंसिल्वेनिया के निवासी (या, वेस्टफील्ड मेमोरियल अस्पताल के लिए NY राज्य निवासी) होबक चाही।

2. आवेदन जमा के तिथि केर अनुसार:

चैरिटी केयर पेंसिल्वेनिया केर निवासी (या वेस्टफील्ड मेमोरियल अस्पताल सेवा क्षेत्र NY निवासी) केर लेल आरक्षित अछि, कियैक कि पेंसिल्वेनिया में रहनिहार पेंसिल्वेनिया राज्य तथा स्थानीय कर केर भुगतान करैत छथि, जाहि सं राज्य केर नागरिक केर लेल स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध होइत अछि। ओहि प्रकार सं संयुक्त राज्य अमेरिका केर नागरिक संघीय कर केर भुगतान करैत छथि। AHN उम्मीद करैत अछि जे राज्य केर बाहर के मरीज जे अपन वित्तीय परिस्थितिक आधार पर AHN चैरिटी केयर केर लेल अर्हता प्राप्त करताह, हुनका अपना निवासक राज्य में चिकित्सा देखभाव व चैरिटी केयर विशेषाधिकार प्राप्त करबाक चाही। अंतर्राष्ट्रीय मरीज या अनधिकृत आप्रवासी चैरिटी केयर केर लेल अर्हता प्राप्त क सकैत छथि अगर ओ मेडिकेड केर लेल योग्य छथि। राज्य व अंतरराष्ट्रीय मरीजक लेल विशेष परिस्थिति अछि (उदाहरणक लेल, वाहन दुर्घटना, अचानक उभरल बीमारी) जेकरा तहत ओ चैरिटी केयरक लेल अर्हता प्राप्त करताह।

3. रोगी / गारंटर उपलब्ध किफायती स्वास्थ्य देखभाल लाभ केर विकल्पक लेल आवेदन करबा और अनुपालन करबाक वास्ते बेहतर विश्वास प्रदर्शित करबा में सक्षम होथि (मेडिकेड योग्यता और अन्य ACA सब्सिडी वला हेल्थकेयर लाभ कार्यक्रम), या सबूत प्रदान करथि जे चैरिटी केयर केर योग्य बनबा से पहिले मेडिकेड या अन्य कार्यक्रमक लेल कवरेज प्रदान नहिं कयल जेतैन्हि। मरीज के आवेदन अवधि केर भीतर चैरिटी केयरक लेल एकटा पूर्ण आवेदन जमा करय पड़त। AHN ई निर्धारित करबाक लेल उचित प्रयास करत जे व्यक्ति असाधारण संग्रह कार्य (ECAs) में शामिल होय से पहिले बाहरी सहायता केल पात्र छथि या नहिं। उचित प्रयास: एहि आवश्यकता के पूरा करय केर प्रयोजनक लेल, "अधिसूचना अवधि" और "आवेदन अवधि" दूनू अछि। अधिसूचना अवधि ओ समय थिक जाहि दौरान AHN के एहि नीति केर बारे में कोनो व्यक्ति के सूचित करय परतै। ई अवधि डे केयर केर दिन शुरू होयत और 120म दिन AHN केर व्यक्ति के केयर केर बिलिंग विवरण देवाक संग समाप्त होयत। अगर व्यक्ति अधिसूचना अवधि केर अंत तक आवेदन जमा करय में विफल रहलाह त AHN व्यक्ति केर खिलाफ असाधारण संग्रह क्रिया (ECAs) में संलग्न भय सकैत अछि। हालांकि, AHN एकटा व्यक्ति द्वारा लंबा समय तक "आवेदन अवधि" केर दौरान प्रस्तुत कयल गेल आवेदन के स्वीकार और संसाधित करत, जे 240म दिन समाप्त होयत, जखन AHN देखभालक लेल पहिले बिलिंग विवरणक व्यक्ति के प्रदान करत। एहन मरीज जे पूर्ण आवेदन जमा करबा में विफल रहताह या 240 दिन केर बाद सहायक दस्तावेज सहित आवेदन वापस करबा में विफल रहताह, हुनक अनुपालन विफलता के कारण अस्वीकार क देल जा सकैत अछि।

4. चैरिटी केयर द्वारा कवरेज बुनियादी चिकित्सा देखभाल तक सीमित अछि।
5. चैरिटी केयर केवल आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय आवश्यक सेवा पर लागू होयत। चैरिटी केयर एहन रोगी के उपलब्ध नहिं होयत जे रिहाई सं मना क देताह ओ चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक खर्चा करताह। चैरिटी केयर छूट केवल रोगी के ठहरई या रोगी के सेवाक दौरान प्रशाशित दवाई पर लागू होयत। ई छूट कोनों अन्य दवाई या दवाई केर पर्चा पर लागू नहिं होयत। चैरिटी केयर एहन बीमा सेवा पर लागू नहिं होयत, जाहिमें बीमा वाहक मुकदमाबाजी, रोगी से सहयोगक कमी या रोगी सं से गलत जानकारी केर कारण सेवा सं इंकार क देलाह।

चैरिटी केयर ओहि रोगी / गारंटर पर सेहो लागू नहिं होयत जे अपना लेल उपलब्ध बीमा विकल्पक उपयोग करबा सं मना करैत छथि। चैरिटी केयर एहनो रोगी / गारंटर पर लागू नहिं होयत जे बीमा भुगतानक सबटा स्रोत के समाप्त नहिं केलाह अछि (ex: आजीवन आरक्षित मेडिकेयर)।

एकटा अनुमोदित आवेदन रोगी के आवेदन स्वीकृतिक तारीख सं 180 दिन सं व 180 दिन पहिले रोगी के प्रदान कयल जाय वला लागू सेवा के कवर करत।

मरीज / गारंटर के प्रत्येक 180 दिन पर चैरिटी केयर केर वास्ते पुनः आवेदन करबाक चाही। ई पुनः आवेदन प्रक्रिया में अनुमानित चैरिटी केयर डाटा केर सत्यापन भय सकैत अछि या पूर्ण चैरिटी केयर केर आवेदन जमा करैक आवश्यक पड़ि सकैत अछि।

6. चैरिटी केयर छूट केवल रोगीक देयता राशि पर लागू होयत, कोनों बीमा राशि पर विचार नहिं कयल जायत। स्वीकृत राशिक परिणाम भय सकैत अछि:

- ✓ रोगी लग चिकित्सा सहायता या पर्याप्त बीमा कवरेज नहिं हो।
- ✓ रोगीक बीमा लाभ समाप्त भय गेल हो (उदाहरणक लेल, अधिकतम कवर कयल गेल दिन / रकम सं अधिक, मेडिकेयर के बढ़ाओल लाइफटाइम आरक्षित दिन)।
- ✓ रोगी लग एकटा प्राथमिक बीमा वाहक हो, जे भुगतान केने हो लेकिन एकटा दोसर देनदारी सेहो मौजूद हो, जेकरा लेल ओकरा लग कवरेज नहिं हो।
- ✓ रोगीक वित्तीय परिस्थितिक तुलना में चिकित्सा ऋणक मात्राक कारण रोगी के जरूरतमंद मानल जायत।
- ✓ मृत रोगीक शेष राशि के भुगतान सं पहिले मृतक रोगीक संपत्ति समाप्त भय जाए।
- ✓ रोगी औपचारिक दिवालियापन निर्णय जमा केने होथि, जे ओहि तारीख के प्रभावित करैत हो, जाहि पर सेवा प्रदाय कयल गेल हो। रोगी अपन निर्णय और अपडेटेड आय / संपत्तिक जानकारी केर विचारक संग चैरिटी केयर केर लेल अहर्ता प्राप्त करताह।
- ✓ रोगी बेघर छथि या बेघर आश्रय के रूप में निवास साबित केने छथि।
- ✓ रोगी अपन आय / संपत्तिक जानकारी और / या बेघर स्थिति के बारे में औपचारिक हलफनामा दस्तावेज जमा केने होथि जाहि सं रोगी चैरिटी केयर केर पात्रता हासिल करताह।

आवेदनक लेल प्रक्रिया

1. चैरिटी केयर आवेदन

चैरिटी केयर अनुप्रयोगक उपयोगक लेल एकटा मरीजक / गारंटरक चैरिटी केयर अहर्ता प्राप्त करबा आवश्यक अछि।

अगर रोगी और / या गारंटरक आय संघीय गरीबी दिशा-निर्देश केर 200% या ओहि सं कम हो, त रोगीक सकल देनदारी केर 100% माफ क देल जायत। बेघर केर रूप में चिह्नित मरीज 100% मानल जायत। वर्तमान और पछिला सालक लेल रोगीक सकल घरेलू आय यू.एस. स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा संघीय रजिस्टर में सालाना प्रकाशित गरीबी आय दिशानिर्देश सं दू (2) गुना सं अधिक नहिं भय सकैत अछि (चलती सालक डेटा मुख्य रूप सं मानल जायत)। वर्तमान दिशा-निर्देश और लागू FPL तालिकाक लेल परिशिष्ट बी देखी।

रोगी या गारंटर केर \$10,000.00 सं अधिक सब तरल परिसंपत्ति (नगदी, चेकिंग, बचत और मुद्रा बाजार खाता, जमा केर परिपक्व प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड एवं बॉन्ड जाहि में बिना दंड और अन्य आसानी से परिवर्तनीय निवेश के बिना कैश

कयल जा सकय) वित्तीय सहायता समायोजन लेल विचार सं पहिले एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क केर देय ऋणात्मकता पर लागू हेबाक चाही। रिटायरमेंट फंड शामिल नहिं कयल जायत। प्राथमिक निवास व प्राथमिक वाहन संपत्ति परीक्षणक हिस्साक रूप में शामिल नहिं कयल जायत। अलग-अलग मामलाक आधार पर कोनों दोसर निवास या वाहनक विचार और मूल्यांकन कयल जायत।

"हार्डशिप" दस्तावेजक आवश्यकता भय सकैत अछि (अत्यधिक मेडिकेशनक मामला, गंभीर बीमारी या कएक बेर अस्पताल में भर्तीक मामला)। एहन रोगीक लेल जे संघीय गरीबी दिशानिर्देश सं 200% अधिक अछि और जिनका खाताक शेष राशि हुनकर वार्षिक घरेलू आय सं 25 फीसदी अधिक अछि, AHN बाकी के "हार्डशिप" मानि सकैत अछि, बशर्त रोगी आय या आय केर दस्तावेज जमा करताह, जे बाहरी डेटाबेस स्रोत सं प्राप्त कयल जा सकैत अछि।

AHN कोनों वित्तीय सहायताक लेल रोगी के संभावित रूप से स्वीकृति दय के लेल कोनों पछिला वित्तीय सहायता योग्यता निर्धारणक उपयोग नहिं करैत अछि। रोगीक वित्तीय सहायता समाप्त भय जेबाक स्थिति में, रोगी के वित्तीय सहायताक लेल पुनः आवेदन करबाक चाही।

2. सहायक दस्तावेजीकरण

आवेदन प्रक्रियाक लेल अनुरोध कयल गेल आय और संपत्तिक जानकारी केर प्रकार।

- ✓ पछिला साल टैक्सक रिपोर्ट करैक लेल उपयोग कयल जाय वला फेडरल आयकर फॉर्म 1040 या अन्य फेडरल फॉर्म (आय में सख्त परिवर्तनक स्पष्टीकरण केर संग)
- ✓ स्टब प्रति केर भुगतान (पछिला 30 दिनक लेल)।
- ✓ प्राप्त कोनों अन्य आमदनीक लिखित सत्यापनक (उदाहरणक लेल, निर्वाह निधि, बच्चाक जिम्मेदारी, अक्षमता मुआवजा, पेंशन, किराया सं आय, स्व-रोजगार आय सत्यापन (पछिला महीनाक लाभ और हानि विवरण), सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, VA लाभ, श्रमिक मुआवजा) अनुरोध आवेदन प्रक्रियाक हिस्सा केर रूप में अनुरोध कयल जा सकैत अछि।
- ✓ बैंक विवरण, आवश्यकतानुसार (वित्तीय सहायता आवेदनक तिथि सं पहिले हालिया मासक)
- ✓ सेवाक तिथि के प्रभावित करै वला दिवालियापनक नोटिस के आय / संपत्तिक जानकारी केर अलावा विचार कयल जायत जाहिसं रोगी / गारंटीकर्ता चैरिटी केयर केर लेल अहर्ता प्राप्त करताह। औपचारिक हलफनामा जे रोगी / गारंटर केर आय / संपत्तिक जानकारीक समर्थित होयत, हुनका चैरिटी केयर केर लेल योग्यता प्रदान करतैन्हि।
- ✓ होमलेस शेल्टर में बेघर या निवासक सबूत।

3. आवेदनक जानकारी

सब आवेदनकर्ता के AHN वित्तीय सहायता आवेदन पत्र के पूरा करबाक चाही तथा वित्तीय सहायताक लेल आवेदन करैत समय अनुरोधित दस्तावेज प्रदान करबाक चाही। वित्तीय सहायता हासिल करैक लेल पूरा आवेदन एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क सं चिकित्सा सेवाक 240 दिनक भीतर भेट जेबाक चाही।

अनुरोध स्वीकृतिक हेतु एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क केर वित्तीय सहायता आवेदन पत्र तथा दस्तावेजीकरण पूरा हेबाक चाही। अतिरिक्त जानकारीक आवश्यकता में वापस कयल गेल आवेदन के एहि जानकारी के हासिल करैक लेल आवेदनकर्ताक अनुरोधक पत्र पठबैक तारीख सं 30 दिन तक रोकि देल जायत। आवेदनक के अतिरिक्त जानकारी केर बारे में सूचित करबा लेल एकटा जरूरी फोन कॉल सेहो कयल जायत। 30 दिनक भीतर में जानकारी प्राप्त नहिं होबक स्थिति में आवेदन के अस्वीकार क देल जायत।

वित्तीय सहायता आवेदन निम्नलिखित कार्यालय में जमा होबक चाही। ई कार्यालय एहि बातक निर्धारण करैक लेल उचित प्रयास करत जे कोनों व्यक्ति वित्तीय सहायक लेल योग्य छथि या नहिं।

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क रेवेन्यू साइकिल ऑपरेशंस
ग्राहक सेवा केंद्र
10 वीं मंजिल, 4 एलेग्नी सेंटर
पिट्सबर्ग, PA 15212

वित्तीय सहायताक आवेदन पूरा करय में सहायताक आवश्यकता वला मरीज AHN ग्राहक सेवा विभाग, 1-800-547-0540 या ग्राहक देखभाल केंद्र 1-844-801-8400 पर संपर्क कय सकैत छथि।

वित्तीय सहायताक लेल अनुरोध अविलंब संसाधित कयल जायत और एकटा पूर्ण आवेदन प्राप्त होय के 14 दिनक भीतर एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क रोगी या आवेदक के लिखित रूप में सूचना देत। पात्रता स्वीकृत होय के स्थिति में, छह मासक अवधि केर लेल वित्तीय सहायता देल जायत। आवेदनक तारीख सं छह मास तक कयल गेल सेवाक लेल सब योग्य खाता पर वित्तीय सहायता लागू कयल जायत।

वित्तीय सहायता सं मना करबाक स्थिति में रोगी या रोगीक गारंटर कोनों समय आय या परिस्थिति में बदलाव या अस्वीकरण निर्णयक छह मास बाद पुनः आवेदन कय सकैत छथि।

4. गैर-जिम्मेदार मरीज और गारंटीकर्ताक वित्तीय आवश्यकताक निर्धारण

AHN एहि बात के बुझैत अछि जे किछु रोगी वित्तीय सहायता आवेदन के पूरा करवा में असमर्थ भय सकैत छथि, दस्तावेजीकरण के अनुरोध के अनुपालन कय सकैत छथि या अन्यथा आवेदन प्रक्रिया केर लेल गैर-जिम्मेदार छथि। नतीजतन, एहन परिस्थिति भय सकैत अछि, जेकरा तहत औपचारिक सहायता आवेदन पूरा केने बिना वित्तीय सहायताक लेल एकटा रोगीक योग्यता स्थापित कयल जायत। एहन परिस्थिति में AHN अस्पताल वित्तीय आवश्यकताक व्यक्तिगत मूल्यांकनक लेल जानकारीक अन्य स्रोत केर उपयोग कय सकैत अछि। ई जानकारी AHN के रोगी के सीधा प्रदान कयल गेल जानकारीक अनुपस्थिति में उपलब्ध सर्वोत्तम अनुमानक उपयोग करय वला गैर-प्रतिक्रियाशील मरीजक वित्तीय आवश्यकता पर एकटा अवगत निर्णय लेबा में सक्षम करत।

वित्तीय आवश्यकताक आकलन करैक लेल AHN रोगीक जानकारी केर इलेक्ट्रॉनिक समीक्षा करबा लेल कोनों तेसर पक्षक उपयोग कय सकैत अछि। ई समीक्षा एकटा हेल्थकेयर उद्योग-मान्यता प्राप्त तंत्र केर उपयोग करैत अछि, जे सार्वजनिक रिकॉर्ड डेटाबेस पर आधारित अछि। एहि भावी तंत्र में सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय क्षमता स्कोरक गणना करबा लेल सार्वजनिक रिकॉर्ड डेटा शामिल अछि जाहिमें आय, संपत्ति और तरलता के अनुमान शामिल अछि। एहि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के प्रत्येक रोगीक समान मानकक आकलनक लेल डिजाइन कयल गेल अछि और ई पारंपरिक आवेदन प्रक्रियाक तहत जांचल अछि।

अन्य सब टा योग्यता और भुगतान स्रोत समाप्त भेलाक बाद अशोध्य कर्ज असाइनमेन्ट सं पहिले इलेक्ट्रॉनिक तकनीक केर तैनाती कयल जायत। एहि सं AHN कोनों अभूतपूर्व संग्रह कार्य में शामिल होय से पहिले सब गैर-बीमाकृत मरीज सभक वित्तीय सहायताक जांच कय सकत। एहि इलेक्ट्रॉनिक पात्रता समीक्षा सं वापस डेटा एहि नीतिक तहत वित्तीय आवश्यकताक पर्याप्त दस्तावेज एकत्रित करत।

जखन इलेक्ट्रॉनिक नामांकनक अनुमानित योग्यताक आधार के रूप में उपयोग कयल जायत तखन पूर्ण सेवाक उच्चतम छूट केवल सेवाक पूर्वदर्शी तिथिक लेल पात्र सेवा के देल जायत। अगर कोनों मरीज इलेक्ट्रॉनिक नामांकन प्रक्रिया केर तहत अहर्ता प्राप्त नहिं करैत छथि, तथापि रोगी के पारंपरिक वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रियाक तहत योग्य मानल जा सकैत अछि। एहन मरीज जे एहि प्रक्रियाक जरिया सं अहर्ता पूरा नहिं करै छथि, हुनका AHN एकटा लिखित नोटिस जारी कय के सूचित करत जे वित्तीय सहायत उपलब्ध अछि। एहि में वित्तीय सहायता नीतिक सादा भाषा में एकटा सारांश शामिल होयत और यदि कोनों आवेदन जमा नहिं कयल गेल अछि या बकाया शेष राशिक भुगतान नहिं कयल गेल अछि त कार्रवाई कयल जायत।

रोगीक खाता केर अनुमानित पात्रता वित्तीय सहायता नीतिक तहत पुनः वर्गीकृत कयल जायत। एहन खाता के संग्रह कार्यक लेल नहिं पठाओल जायत, संगे आगू संग्रह कार्यक अधीन नहिं होयत, तथा अस्पतालक अशोध्य कर्ज व्यय में शामिल नहिं कयल जायत।

5. चैरिटीक विचार और प्रशासन

चैरिटी केयर छूट केर अनुमोदित रकम के बढा खाता में दय के लेल उपयुक्त प्रबंधन स्तर पर अनुरोध जमा करेबाक चाही। रोगी / गारंटर के लिखित रूप में अधिसूचित कयल जायत, चाहे ओ चैरिटी केयर कार्यक्रमक तहत कवरेजक लेल अनुमोदित या अस्वीकृत होथि।

आवेदक के कर्मचारी, अनुमोदनक लेल जिम्मेदार व्यक्तिक संगी कर्मचारी, संबंधी और / या मित्र होय के स्थिति में, कर्मचारी तथा प्रबंधन अपन तत्काल पर्यवेक्षक सं सक्रिय रूप सं संपर्क करैक जिम्मेदारी लेत (प्रबंधनक अगिला स्तर) ताकि AHN क हित में कार्य करैक संग-संग विचार में विभेद केर संबंध में अधिकतम अनुपालन सुनिश्चित हो। एहन स्थिति में ई अपेक्षा

कयल जायत अछि जे आवेदन केँ अन्य प्रबंधन द्वारा अनुमोदित कयल जायत, जाहिमें वीपी-स्तरीय व्यक्ति केँ आवश्यकतानुसार शामिल कयल जायत।

चैरिटी केयर छूट राशि केँ ट्रैक करबाक लेल लेनदेन कोडक उपयोग कयल जायत।

अपूर्ण वित्तीय सहायता आवेदनक संबंध में पर्यवेक्षक या पदनामित व्यक्ति द्वारा फोन या पत्र सं जानकारी लेल जायत ताकि आवेदनक प्रक्रिया तेज हो। समीक्षा व अनुमोदन होय के स्थिति में एकटा पत्र पठाओल जायत।

दायित्व

चैरिटी केयर पॉलिसी वित्तीय सहायता कार्यक्रमक तहत कवरेजक लेल आवेदन, पूर्ण दस्तावेजक संग, ग्राहक देखभाल केंद्र प्रबंधन, या पदनामित द्वारा प्रस्तुत और समीक्षा / अनुमोदित कयल जायत। जाहि मामला में समायोजन निम्नलिखित मात्रा सं अधिक अछि या कठिनाई केर कारणेँ अपवादक आवश्यकता वला व्यक्तिक समीक्षा व अनुमोदन कयल जेबाक चाही।

चैरिटी केयर प्रबंधन स्वीकृति

स्व-वेतन प्रतिनिधि	\$0 - \$20,000
स्व-वेतन प्रबंधक	\$20,001 - \$50,000
निदेशक	\$50,001 - \$75,000
उपाध्यक्ष, सीबीओ	\$75,001 - \$150,000
वारेण्ट उपाध्यक्ष, मुख्य राजस्व अधिकारी	> \$150,001

6. चैरिटी केयर प्रबंधन सूचना

AHN चैरिटी केयरक रिपोर्टिंग व दस्तावेजीकरण नियमित रूप सं होयत।

- ✓ नीति व प्रक्रिया केँ लगातार सुनिश्चित करबाक लेल चैरिटी केयर प्रक्रियाक समीक्षा प्रतिवर्ष कयल जायत। वार्षिक समीक्षा अपडेट व अन्य परिवर्तनक संबंध में सुझावक मार्ग प्रशस्त करत।
- ✓ ग्राहक देखभाल केंद्र प्रबंधन केँ संग्रह, दस्तावेज, तथा चैरिटी केयर जानकारी प्रकट करबाक आवश्यकता होयत:
 - सेवा कयल गेल व्यक्तिक कुल संख्या।
 - कुल माफ शुल्क।
 - चैरिटी केयरक कुल खर्च।
 - चैरिटी केयरक खर्च उपलब्ध करेबाक लेल प्राप्त कुल धनराशि।

बिलिंग व संग्रह नीति

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क केर बिलिंग और संग्रह नीति संघीय व राज्यक नियम तथा स्वास्थ्य देखभाल बिलिंग व संग्रह केँ नियंत्रित करय वला कानूनक अनुपालन करैत अछि।

ई निर्धारित करबाक उचित प्रयास केने बिना कि ओ रोगी वित्तीय सहायताक लेल योग्य अछि या नहिं, शुरुआती बिल जारी करबाक 120 दिनक भीतर कोनो रोगीक खिलाफ कोनो असाधारण संग्रह कार्रवाई (ईसीए) केर पालन नहिं कयल जायत। उचित प्रयास में ई शामिल अछि, हालांकि एतबे तक सीमित नहिं अछि:

- ✓ ई मानैत जे रोगी केँ अभुक्त बिलक भुगतान करबाक अछि तथा तेसर पक्षक भुगतानक सब स्त्रोतक पहचान भय गेल अछि तथा एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क द्वारा बिल बनाओल गेल;
- ✓ जाबे तक रोगी केँ एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक वित्तीय सहायता नीति केर बारे में जानकारी नहिं देल जायत अछि और ओकरा लेल आवेदन करबाक अवसर नहिं प्राप्त होइत छैक, ताबे तक एकटा गैर-बीमाकृत रोगी (या गैर-बीमाकृत होय के संभावना) केर खिलाफ कयल गेल संग्रह कार्य पर निषेध रहत;

- ✓ वित्तीय सहायताक निर्धारणक हेतु कोनों अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज जमा करैक संबंध में रोगी के लिखित में सूचना;
- ✓ ई पुष्टि करैत जे रोगी मेडिकेड, या अन्य सार्वजनिक रूप से प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम केर तहत स्वास्थ्य कवरेजक हेतु आवेदन जमा केलक अछि आ एहि तरहक निवेदनक दस्तावेज प्राप्त कर रहल अछि। स्वास्थ्य देखभाल कवरेजक लेल लंबित आवेदनक स्थिति में एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क संग्रह-कार्यक पालन नहीं करत, हालांकि, एक बार कवरेज निर्धारित होय पर सामान्य संग्रह कार्यवाही होयत।
- ✓ रोगी द्वारा वित्तीय सहायता आवेदन पूरा नहीं करबाक स्थिति में एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क रोगी के असाधारण संग्रह प्रयास केर लिखित नोटिस पठेनाई शुरू, फेर शुरू कय सकैत अछि या एहि लिखित नोटिसक 30 दिन बाद या मरीज के देल गेल तारीख सं 30 दिन बाद वित्तीय सहायताक लेल आवेदन पूरा करय में देय राशिक भुगतान हो।
- ✓ एकर अलावा, हालांकि, AHN जारी कयल गेल पहिल बिलक तारीख सं 120 दिनक अधिसूचना अवधि केर बाद ECA शुरू कय सकैत अछि, बादक 120 दिनक दौरान कोनों समय, AHN रोगी सं FAP आवेदन स्वीकार व संशोधित करत, और ओहि अवधिक दौरान ECA प्रयास समाप्त भय जायत जाबे काल तक निर्धारित नहीं कयल जायत अछि कि रोगी FAP योग्य अछि। तदनुसार, कुल अवधि जेकरा दौरान AHN FAP आवेदन के स्वीकार्य व संसाधित करत, पहिल बिलिंग विवरण सं 240 दिन अछि।

आपातकालीन चिकित्सा स्थिति केर संबंध में एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक नीति सेवा के प्राप्त करै सं पहिले भुगतानक संग्रह प्रतिबंधित करैत अछि या संग्रह गतिविधिक अनुमति दैत अछि जे आपातकालीन चिकित्साक प्रावधान में हस्तक्षेप कय सकैत अछि। संदर्भ एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क केर आपातकालीन चिकित्सा उपचार और श्रम अधिनियम नीति (नीति स्टैट ID 2538428)।

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क वित्तीय सहायता केर लेल अपात्र पाओल गेल मरीज केर खिलाफ सामान्य संग्रह कार्यक कार्रवाई कय सकैत अछि, या एहन रोगी जे शेष राशिक भुगतान करवा में सहयोग नहीं कय रहल छथि।

कोनों कलेक्शन एजेंसी, कानूनी फर्म, या व्यक्ति एकटा अधिकृत एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क कर्मचारी केर लिखित स्वीकृतिक बिना एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक बिल केर भुगतानक हेतु कोनों मरीजक खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू कय सकैत अछि।

संग्रह सूचना

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क रोगी केर वित्तीय बोझ के कम करैक लेल प्रत्येक समय तेसर पक्षक प्रतिपूर्ति के अधिकतम करैक प्रयास करैत अछि। जखन तेसर-पक्ष कवरेज प्रदान कयल जाय वला सेवा के कवर करै में विफल रहैत अछि, या कोनों तेसर पक्षक कवरेज प्रभावी नहीं अछि, एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क रोगी द्वारा सेवाक लेल भुगतानक अपेक्षा करैत अछि, जाबे तक कि रोगी केर आवेदन प्रक्रियाक माध्यम सं वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कयल जाइत अछि या संभवतः योग्य अछि।

जखन संग्रहक नियमित प्रगति होइत अछि और स्व-वेतन शेष राशिक भुगतान नहीं कयल जाइत अछि, तखन राजस्व चक्र कार्यालय स्थापित नीति और प्रक्रियाक अनुसार अशोध्य ऋण स्थिति के अनुशांसा या अनुशांसाक लेल सिफारिश करत।

भुगतान योजना

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क केर सेवाक लेल अनुमोदन पर भुगतान योजना उपलब्ध अछि। भुगतान योजना उद्योग मानकक लेल उचित अछि।

दिवालियापन

रोगीक दिवालियापन केर स्थिति में, एक बेर एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक दावाक सबूत प्राप्त भय गेलाक बाद, दिवालियापन दाखिल करैक तारीख सं पहिले और बाद में प्रदान कयल गेल सब सेवाक लेल बकाया शेष राशि केर लेल संग्रह कार्य तुरंत समाप्त भय जायत।

नियामक आवश्यकता

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क सब संघीय, राज्य और स्थानीय कानून, नियम और विनियम और रिपोर्टिंग आवश्यकताक अनुपालन करत जे एहि नीति केर अनुसार आयोजित गतिविधि पर लागू भय सकैत अछि। एहि नीतिक लेल आवश्यक अछि जे एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करबाक लेल प्रदान कयल गेल संग्रह और वित्तीय सहायता के ट्रैक करय।

रिकॉर्ड रखना

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क उचित नियंत्रण रखबाक और सब आंतरिक और बाहरी अनुपालन आवश्यकता के पूरा करबाक लेल सब संग्रह कार्य और वित्तीय सहायता दस्तावेज के पूरा करत।

पॉलिसी स्वीकृत

एलेग्नी हेल्थ नेटवर्कक वित्तीय सहायता और संग्रह नीति आवधिक समीक्षा केर अधीन अछि तथा कोनों समय व्यापार आवश्यकताक के रूप में संशोधित कयल जा सकैत अछि। एलेग्नी हेल्थ नेटवर्क निदेशक मंडल और लागू AHN अस्पताल बोर्ड के नीति में कोनों तरहक बदलावक मंजूरी देबय पड़त।

अनुबंध A: वित्तीय सहायता नीति केर द्वारा कवर नहीं कयल गेल सेवाक चयन करी

परिभाषा	कार्यक्रम योग्यता		सेवा परिभाषा & उदाहरण
	स्व-वेतन छूट	चैरिटी केयर	
अनुदान खाता	नहीं	नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. एडिसन गिब्सन 2. रायन व्हाइट 3. अनुदान/संस्था द्वारा कवर कयल गेल अन्स सेवा
निश्चित सेवा, उच्च लागत वला उपचार, अन्य कम लागत वला उपचार, अन्य विकल्प	हां	नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. कर्णावर्त तंत्रिकाक प्रत्यारोपण 2. बेरिएट्रिक सर्जरी 3. LDL एफरेसिस 4. डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन 5. पुरुष नसबंदी या पुरुष नसबंदी प्रत्यारोपण 6. लेफ्ट वेंटिकुलर सहायक उपकरण 7. पेडियेट्रिक हियरिंग एड्स 8. कोनों अन्य प्रक्रिया जे चिकित्साक आवश्यकता के पूरा नहीं करैत अछि
चिकित्सीय आवश्यकता नहीं	नहीं	नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. कॉस्मेटिक सर्जरी/प्रक्रिया 2. इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन 3. गैर-चिकित्सीय आवश्यक प्रसूति अल्ट्रासाउंड, वर्चुअल कॉलोनोस्कोपी, और पूर्ण-शरीर MRI / PET